

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 361]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2019—भाद्र 2 शक 1941

---

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14003-232-इकीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१९

### मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१९.

[दिनांक २२ अगस्त, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

**मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम.**

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है।

**धारा २ का संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ) "विवाद" से अभिप्रेत है, ५०,००० रुपए या उससे अधिक मूल्यांकन के अभिनिश्चित धन अथवा अभिनिश्चित किए जाने योग्य धन के दावे से संबंधित कोई विवाद जो किसी संकर्म संविदा या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत होता है।"

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14003-232-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

#### **MADHYA PRADESH ACT NO. 18 OF 2019**

#### **THE MADHYA PRADESH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2019.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

**Amendment of  
Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), in sub-section (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) "dispute" means, claim of ascertained or ascertainable money valued at Rupees 50,000 or more relating to any difference arising out of the execution or non-execution of a works contract or part thereof;".